न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 629/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट्स
विकास बब्बर पुत्र एस.सी.बब्बर अधिकृत प्रतिनिधी मैसर्स सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि0 हाल भडला तहसील बाप जिला जोधपुर		1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप 2–हबीब पुत्र रेशुखां 3–नूरदीन पुत्र रेशुखां 4–कायमा पुत्री रेशु खां 5–जन्नत पुत्री रेशु खां 6–मुबारकी पुत्री रेशुखां 7–अजीज खां पुत्र अल्लारख खां सभी जातियान मुसलमान ग्राम भडला तहसील बाप जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2017 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2017 मे पारित किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री भूषणसिह चारण अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31–5–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भडला स्थित खसरा नंबर 80 की कुल रकबा 5238 बीघा 17 बिस्वा मे आई हुई थी जिसमे से 5152 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलांट कम्पनी को आंवटित हुई जिसका खसरा नंबर 80/3 नक्शा ट्रेस मे अंकित है । आवंटित सुदा भूमि पर अपीलांट का कब्जा व काश्त चला आ रहा है । ग्राम भडला के खसरा नंबर 80/514 एवं 80/518 की भूमि राजस्व रेकर्ड मे रेस्पो0 संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज है लेकिन रेस्पो0 का कब्जा जिस स्थान पर है उस स्थान पर नक्शा ट्रेस मे तरमीम अंकित न होकर अपीलांट के खसरा नंबर 80/3 मे दर्शाई हुई होने से इस तरमीम को दुरस्त करवाने हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–10–2017 के द्वारा खारीज कर दिया जाने पर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हुई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 80/3 की 5152 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलांट की आवंटन सुदा भूमि है, उक्त आवंटित सुदा भूमि पर रेस्पो0 के खसरा नंबर 80/514 व 80/518 की गलत तरमीम नक्शा ट्रेस मे चली आ रही है, जिस स्थान पर रेस्पो0 का कब्जा व काश्त है उस स्थान पर नक्शा ट्रेस मे तरमीम नही होकर अपीलांट के आवंटनसुदा भूमि पर गलत तरमीम को दुरस्त

करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाप का जवाब पेश हुआ था जिसमे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया हुआ है कि वर्तमान मे मौका अनुसार ग्राम भडला के खसरा नंबर 50/514 एवं 80/518 के खातेदारो की तरमीम अनुसार मौके पर काबिज नही होकर अन्य स्थान पर काबिज है, इस कारण इन खसरो की तरमीम को खारीज किया जाना उचित बताया तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तरमीम को दुरस्त किया जाने का निवेदन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाप के जवाब को नजर अंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अथवा नक्शा ट्रेस मे कोई त्रुटि हो तो उक्त त्रुटि को लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर किसी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अथवा स्वयं ही किसी भी समय दुरस्त कर सकते है परंतु वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाप के जवाब रेकर्ड पर होते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खातेदार न मानकर कानूनी भूल की है जबकि अपीलांट एक कम्पनी है, उसे इस खसरे मे सोलर पार्क निर्माण हेतु भूमि आवंटित की हुई है इसलिए अपीलांट कम्पनी प्रभावित पक्षकार है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर तहसीलदार बाप के जवाब अनुसार एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम को दुरस्त करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि यह अपील मयाद बाहर पेश की गई है जिसे न्यायालय हाजा ने मयाद के बिन्दु पर उजर एतराज दर्ज की थी तथा अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मयाद के बिन्दु पर कुछ भी नही कहा और न ही विलंब को क्षमा करने बाबत कोई स्पष्टीकरण ही दिया है इसलिए उक्त अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को मेरिट पर खारीज नही किया है बल्कि केवल लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारीज किया है । अपीलांट ने इस अपील मे भी विरोधाभासी कथन किया है, एक ओर तो उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताया है तो दूसरी ओर यह भी कथन करते है कि उक्त भूमि सोलर पार्क के लिए उपयोग होना बताया है इसलिए अपीलांट की अपील विरोधाभासी कथनो के आधार पर भी खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि हमारा आवंटन पुराना है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे रेस्पो0 का नाम चला आ रहा है इसलिए अपीलांट यदि हमे कब्जे से बेदखल करना चाहते है तो इसके लिए उन्हे नियमित वाद पेश करना चाहिये न कि धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि यह अपील विकास बब्बर ने प्रतिनिधी मै0 सोर्य उर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि0 की ओर से पेश की है जबकि विकास बब्बर के पक्ष मे कम्पनी की ओर से कोई **resolutions** प्रस्तुत नही किया है तथा यह भी कथन किया कि अपील केवल ओथोराईज व्यक्ति ही पेश कर सकता है, इस आधार पर लोकस स्टेण्डाई के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को खारीज किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने उक्त बहस के समर्थन मे सिविल अपील नंबर 2014/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 22–2–2011 की प्रति पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर का भी अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को केवल इस आधार पर खारीज किया है कि ''वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही है केवल मात्र लीज होल्डर (किरायेदार) है तथा धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट मे किसी अशुद्धि को शुद्ध करवाने का अधिकार मात्र खातेदार काश्तकार को ही है । ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को उक्त धारा के अन्तर्गत रेकर्ड शुद्धि करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया है'' ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे उक्त अपील को स्वीकार करने, अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने तथा तहसीलदार बाप के जवाब अनुसार एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम भडला पटवारी क्षेत्र नूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नंबर 80/514 रकबा 25 बीघा व खसरा नंबर 80/518 रकबा 15 बीघा भूमि की वर्तमान नक्शा ट्रेस मे गलत चल रही तरमीम को दुरस्त कर हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रेस्पो0 के कब्जे अनुसार तरमीम अंकित करने की इस्तदुआ की है ।

उक्त के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस अपील पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात एवं फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस आदि का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित खसरा नंबर 80/3 की तरमीम राजस्व नक्शे मे की हुई नही है, ऐसी स्थिति मे यह निर्धारित नही किया जा सकता कि अपीलांट को आवंटित भूमि कहां पर अवस्थित है तथा रेस्पो0 के खसरा नंबर 80/514 तथा 80/518 जिनकी तरमीम राजस्व नक्शे मे की हुई है, वह किस प्रकार से अपीलांट को आवंटित भूमि को प्रभावित कर रही है ।

अपीलांट का यह कथन कि आवंटन उपरांत मौकें पर जिस भूमि का कब्जा दिया गया, उस स्थान पर राजस्व नक्शे मे रेस्पो0 की तरमीम है, ऐसी स्थिति मे यह विचारणीय बिन्दु है कि पटवारी अथवा राजस्व कार्मिको द्वारा अन्य खातेदारो की तरमीमसुदा भूमि पर कम्पनी को कब्जा क्यो कर दिया गया और आवंटित भूमि खसरा नंबर 80/3 की तरमीम राजस्व नक्शे मे आज दिनांक तक क्यो नही की गई ।

अपीलांट का यह कथन कि रेस्पो0 तरमीमसुदा भूमि पर काबिज नही होकर अन्यत्र काबिज है इसलिए उनके पक्ष मे की गई तरमीम गलत है और इस गलत तरमीम को दुरस्त करने की इस्तदुआ अपील के माध्यम से की है । अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष ऐसी स्थिति मे जब अपीलांट स्वयं को आवंटित भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे नही है, किसी तृतीय पक्षकार की तरमीम को निरस्त करवाने का कोई विधिक अधिकार अपीलांट को नही है । ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय गलत नही माना जा सकता है । न्यायिक दृष्टि से रेस्पो0 खातेदार अपने पक्ष मे हुई तरमीम को सही/गलत मानते हुए उसकी दुरस्ती करवाने की कार्यवाही करवाने हेतु स्वतंत्र है ।

इसके अलावा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस मे उठाये गये बिन्दु जिसमे वर्तमान अपील मयाद बाहर होने, अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय मे बिना कम्पनी के resolutions के प्रस्तुत अपील को मेन्टेनेबल नही मानते हुए खारीज करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर मैसर्स सोर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि0 हाल ग्राम भडला की ओर से अपीलांट विकास बब्बर के पक्ष मे किसी तरह का resolutions या अधिकार पत्र उपलब्ध नही है और न ही बहस के दौरान ऐसा कोई resolutions प्रस्तुत किया गया है । ऐसे मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीर वर्तमान मामले मे लागू होती है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–10–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर